

राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर

दिनांक 03.08.2007 को प्रात 10.30 बजे सभागार, कुलपति सचिवालय, प्रशासनिक कार्यालय राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में आयोजित प्रबन्ध मण्डल की 69वीं बैठक का कार्यवाही विवरण निम्नांकित सदस्य उपस्थित थे : -

1.	डॉ प्रताप नारायण	अध्यक्ष
2.	डा. सुरेश चौधरी, विधायक	सदस्य
3.	श्री राजेन्द्र भानावत, (सचिव, पशुपालन)	सदस्य
4.	श्री जे.सी.विश्नोई, (अतिरिक्त संभागीय आयुक्त प्रतिनिधि प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा)	सदस्य
5.	श्री काशीराम पूनिया (संयुक्त परियोजना निदेशक अनुसंधान प्रतिनिधि सचिव एवं निदेशक कृषि)	सदस्य
6.	डॉ भवानी सिंह	सदस्य
7.	डॉ. मधुसुदन शर्मा	सदस्य
8.	डॉ उमा शंकर शर्मा	सदस्य
9.	श्री रत्न लाला डागा	सदस्य
10.	डॉ के.एम.एल.पाठक	सदस्य
11.	डा. आर.ए.सिंघानिया	सदस्य
12.	डा. ए.के. श्रीवास्तव	सदस्य
13.	डा. जब्बर सिंह सोलंकी	सदस्य
14.	डा. पी.एल. नेहरा	सदस्य
15.	श्री पाल सिंह	सदस्य सचिव

आमंत्रित सदस्य

1. श्री राजकुमार दाधीच, (वित्त नियंत्रक)

श्री आर.के.पॉल, सदस्य ने बैठक में भाग नहीं लिया ।

बैठक के प्रारम्भ में कुलपति ने डॉ सुरेश चौधरी, विधायक, सचिव पशुपालन विभाग व अन्य माननीय सदस्यों के बैठक में भाग लेने पर स्वागत किया साथ ही श्री विनोद कपूर, श्री ललित मेहरा, डॉ ए.के.धामा, डॉ जी.पी.सिंह व श्री वलवन्त सिंह विश्नोई द्वारा दी गई सेवाओं की सराहना की तथा डॉ अनिल कुमार श्रीवास्तव, श्री पालसिंह, कुलसचिव व राजकुमार दाधीच, वित्त नियंत्रक नये सदस्यों का स्वागत किया गया । बैठक में सभी माननीय सदस्यों ने डॉ प्रताप नारायण के विश्वविद्यालय में कुलपति पद पर पदस्थापित होने व पहली बैठक में स्वागत किया गया ।

कुलपति महोदय ने सम्मानित सदस्यों को अवगत कराया कि केरियर एडवांसमेट स्कीम की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं और इसी माह से आगामी प्रक्रिया आरम्भ कर दी जायेगी ।

राकृषि / बोम-69 2007-3 / 1050	<p>प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 23.01.2007 व 7.4.2007 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि करने वालत।</p> <p>यह पारित (Resolved) किया गया कि प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 23.01.2007 व 7.4.2007 के कार्यवाही विवरण की निम्न के साथ पुष्टि की जाए :—</p> <p>राकृषि / बोम-67 / 2007-1 / 1035</p> <p>माननीय सदस्य डॉ उमाशंकर शर्मा व डॉ मधुसूदन शर्मा ने हाल ही में विश्वविद्यालय द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 1/2007 में राज्यसरकार के नये रूल्स को विश्वविद्यालय में शिक्षकों के विज्ञापन में अपनाने पर एतराज व्यक्त करते हुए कहा कि महाराणा प्रताप कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर एवं अन्य विश्वविद्यालयों ने भी इन नियमों को नहीं अपनाया हैं ये नियम केवल अशैक्षणिक वर्ग पर ही लागू हैं क्योंकि आचार्य एवं सहआचार्य के पद पर कोई भी Fixed remuneration पर नहीं आयेगा और एक ही राज्य के दो विश्वविद्यालयों में अलग अलग नियम नहीं होने चाहिए।</p> <p>विस्तृत विचार विमर्श के बाद यह पारित (Resolved) किया गया कि महाराणा प्रताप कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर एवं राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों से जानकारी प्राप्त कर कार्यवाही की जाए।</p>
राकृषि / बोम-69 2007-3 / 1051	<p>प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 23.01.2007 व 7.4.2007 के कार्यवाही विवरण पर की गई कार्यवाही वालत।</p> <p>यह पारित (Resolved) किया गया कि कार्यवाही विवरण के बिन्दुओं पर की गई कार्यवाही की पुष्टि की जाती हैं।</p>
राकृषि / बोम-69 2007-3 / 1052	<p>शैक्षणिक परिषद की मीटिंग दिनांक 21.7.2007 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि करने वालत।</p> <p>यह पारित (Resolved) किया गया कि शैक्षणिक परिषद की बैठक दिनांक 21.7.2007, के कार्यवाही विवरण की निम्न संशोधन के साथ पुष्टि की जाती हैं :—</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Two years Livestock Assistant course be renamed as "Diploma in Animal Husbandry".
राकृषि / बोम-69 2007-3 / 1053	<p>माननीय कुलपति महोदय द्वारा जारी आदेशों की पुष्टि करने वालत।</p> <p>यह पारित (Resolved) किया गया कि माननीय कुलपति महोदय द्वारा जारी आदेशों की पुष्टि की जाती हैं।</p>
राकृषि / बोम-69 2007-3 / 1054	<p>वित्त समिति की बैठक दिनांक 19.06.2007 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि करने वालत।</p> <p>यह पारित (Resolved) किया गया कि वित्त समिति की बैठक दिनांक 19.06.2007 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की जाती हैं।</p>

राकृषि / बोम-69 2007-3 / 1055	विश्वविद्यालय का आय व्ययक अनुमान वर्ष 2007-2008 संशोधित अनुमान वर्ष 2006-2007 । यह पारित (Resolved) किया गया कि विश्वविद्यालय का आय व्ययक अनुमान वर्ष 2007-08 संशोधित अनुमान वर्ष 2006-07 का अनुमोदन किया जाता है ।
राकृषि / बोम-69 2007-3 / 1056	प्रोफेसर प्रताप नारायण, कुलपति के आदेश क्रमांक एफ.27(8) आर.बी./2005/2731 दिनांक 17.5.2007 सूचनार्थ बाबत । यह पारित (Resolved) किया गया कि प्रोफेसर प्रताप नारायण, कुलपति के आदेश क्रमांक एफ.27(8) आर.बी./2005/2731 दिनांक 17.5.2007 को नोट कर लिया गया ।
राकृषि / बोम-69 2007-3 / 1057	श्री पाल सिंह, आर.ए.एस. को विश्वविद्यालय में कुल सचिव पद पर नियुक्ति के आदेश क्रमांक प.1(1) कार्मिक/क-4/2007 दिनांक 28.4.2007 सूचनार्थ बाबत । यह पारित (Resolved) किया गया कि श्री पाल सिंह, आर.ए.एस. को विश्वविद्यालय में कुल सचिव पद पर नियुक्ति के आदेश क्रमांक प.1(1) कार्मिक/क-4/2007 दिनांक 28.4.2007 को नोट कर लिया गया ।
राकृषि / बोम-69 2007-3 / 1058	श्री राज कुमार दाधीच, को विश्वविद्यालय में वित्त नियंत्रक के पद पर नियुक्ति के आदेश क्रमांक प.1(1) वित्त/2007 दिनांक 31.6.2007 सूचनार्थ बाबत । यह पारित (Resolved) किया गया कि श्री राज कुमार दाधीच, को विश्वविद्यालय में वित्त नियंत्रक के पद पर नियुक्ति के आदेश क्रमांक प.1(1) वित्त/2007 दिनांक 31.6.2007 को नोट कर लिया गया ।
राकृषि / बोम-69 2007-3 / 1059	विश्वविद्यालय द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 01/2007 दिनांक 23.06.2007 जिसमें राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत 25 प्रतिशत व विश्वविद्यालय द्वारा 2004 व 2005 में जारी विज्ञापन के तहत की गई नियुक्तियों में से रिक्त रहे पदों (गृह विज्ञान संकाय में 02 पद व कृषि संकाय में 8 पद) को भी शामिल किया गया हैं अतः कुल 74 पदों पर नियुक्ति अलग अलग संकायों में की जानी हैं की पुष्टि करने बाबत । माननीय सदस्यों ने विश्वविद्यालय द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 01/2007 जिसमें Ph.D. व NET की अनिवार्यता बताई गई हैं जबकि अन्य कृषि विश्वविद्यालयों में NET की अनिवार्यता नहीं हैं साथ ही NET की परीक्षा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा पिछले तीन साल से नहीं करवाई जा रही हैं । अतः जो अभ्यर्थी Ph.D. हैं उन्हें NET की अनिवार्यता से मुक्त रखा जाए । यह पारित (Resolved) किया गया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद व महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर से इस संबंध में तुरन्त प्रभाव से जानकारी प्राप्त की जाए ।

<p>राकृषि/बोम-69 2007-3/1060</p>	<p>To Consider the letter No.F.2(13)P.Pa./2000 part dated 27.7.2007 received from the Secretary, Deptt. of Animal Husb., Fisheries and Diary Deptt., GOR, Jaipur regarding different points raised by the Secretary in his letter</p> <p>The Secretary, Animal Husbandry raised the following issues which are relevant for growth and development of Animal Husbandry Sector</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Increasing incidence of infertility in cows. It is estimated that 35% of cows are infertile. Measures required to be taken for checking the incidence and cure for this ailment. b. Commencement of the course titled "Diploma in Animal Husbandry" as suggested by the department of the University. Since new session is to start, an early action is required to be taken at the level of University. c. According to various studies Rajasthan suffers from shortage of good quality of fodder and feed inspite of having large land mass. Efforts needed to be made for improving productivity of the land and for developing and improving the quality of fodder and feed. d. What strategy is required at the State level for conservation of good indigenous breed of cow in the State. <p>Dr.A.K.Gahlot, Dean, College of Veterinary & Animal Science, Bikaner was invited for discussions on these points. Dr.A.K.Gahlot, Dean, College of Veterinary & Animal Science, Bikaner be directed to give his comments/suggestions on the points no.a,c & d as suggested by the Secy.. Animal Husbandry. The matter at point no. b was discussed at length and it was resolved that:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Two years Live Stock Assistant Training /Course be renamed as Diploma in Animal Husbandry as suggested by Secretary, Animal Husbandry, Govt. of Rajasthan, Jaipur. 2. NOC issued to private institutions, in favour of the Directorate of Animal Husbandry should be declared now to deemed in favour of RAU for 2 years Diploma in Animal Husbandry so that on the basis of that the University can initiate the process of affiliating those NOC holder institutions.
--------------------------------------	--

	<p>3. The Secretary, Animal Husbandry agreed that the four Govt. institutions run by the Department of Animal Husbandry may be affiliated by the University and the terms and conditions of affiliation of university will be implied also.</p> <p>4. Affiliation fee may be charged for the Diploma course of Rs.40000/- and Rs. 50000/- for the degree programme.</p> <p>5. It was felt mandatory to visit the affiliation team to the concerned institutions. First Hon'ble High Court decision and committee report be sought from Animal Husbandry Deptt. and examine the report if found satisfactory then provisional affiliation be given</p>
राकृति / बोम-69 2007-3 / 1061	<p>To consider the following proposal received from the Dr. A.K. Srivastava, Dean, PGS, RAU, Bikaner</p> <p>1. Declaring rate of interest of Provident Fund on the regular basis.</p> <p>The matter was discussed at length and the house was informed that a P.F.committee had already constituted. It was resolved that P.F. committee be reconstituted and the matter be discussed in the P.F. committee. Further resolved that interest of P.F. rate be declared every year.</p> <p>2. Enhancements of allowance given to Dean/Director.</p> <p>In view of allowances given by MPUAT enhancement is not required.</p>
राकृति / बोम-69 2007-3 / 1062	<p>शैक्षणिक कर्मचारियों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन का संशोधित प्रपत्र अनुमोदन हेतु।</p> <p>यह पारित (Resolved) किया गया कि शैक्षणिक कर्मचारियों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन का संशोधित प्रपत्र अनुमोदित किया जाता है।</p>
राकृति / बोम-69 2007-3 / 1063	<p>भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की गाईड लाइन के अनुसार कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत शिक्षकों को वरिष्ठ एवं चयनित वेतनमान देने बाबत।</p> <p>यह पारित (Resolved) किया गया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की गाईड लाइन के अनुसार कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत शिक्षकों को वरिष्ठ एवं चयनित वेतनमान देने की पुष्टि की जाए।</p>

राकृति/बोम-69/
2007-3/ 1064

अन्य कोई प्रकरण हो तो अध्यक्ष महोदय की अनुमति से विचार करने बाबत।

1. माननीय सदस्य डॉ उमाशंकर शर्मा ने बताया कि विश्वविद्यालय के शिक्षक जो कि विश्वविद्यालय की सेवाओं में आने से पूर्व की कम से कम एक वर्ष की सेवाओं को जोड़ा जाए जिससे उन्हें केरियर एडवासंमेंट स्कीम का लाभ मिल सके।

माननीय सदस्य को बताया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा पहले से ही भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद व राज्य सरकार के नियमानुसार पूर्व की सेवाओं को केरियर एडवासंमेंट स्कीम के लाभ हेतु गणना की जाती हैं फिर भी कोई प्रकरण लम्बित है तो उस पर विचार किया जायेगा।

2. माननीय सदस्य डॉ उमाशंकर शर्मा ने अनुदेशकों को पदोन्नति लाभ हेतु प्रकरण राज्यसरकार को भेजे हैं वैसे ही वरिष्ठ तकनीकी सहायक/लेक्चरर/अनुसंधान सहायक के प्रकरण भी पदोन्नति हेतु राज्यसरकार को स्वीकृति हेतु भेजे जाए।

यह पारित (Resolved) किया गया कि प्रकरण का परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

3. माननीय विधायक सुरेश चौधरी ने केरियर एंडवासमेन्ट स्कीम के लाभ जल्द से जल्द दिये जाने पर कुलपति महोदय ने कहा कि इसी माह से यह कार्य शुरू कर दिया जायेगा।


4. माननीय विधायक सुरेश चौधरी, विधायक ने दैनिक भास्कर अखबार में हाल में ही प्रकाशित विश्वविद्यालय सम्बन्धी भूतकालीन विषयों पर चर्चा करनी चाही। हाउस को वस्तुस्थिति से अवगत कराया और सभी इकाईयों से गैरकार्यशील उपकरणों की सूची मंगवाई जा रही हैं यदि कोई उपकरण कारणवंश प्रयुक्त नहीं हो रहे हैं तो अन्य इकाईयां जहां उसकी महत्त्वी आवश्यकता हो वहां भेजा जायेगा।

5. डॉ अनिल कुमार श्रीवास्तव माननीय सदस्य ने पेंशन विकल्प के पुनः लेने के बारें में प्रस्ताव के लिये ध्यान आकर्षित किया। सर्वसमिति से यह निर्णय लिया गया कि चूंकि यह प्रस्ताव पूर्व में भी प्रबन्ध मण्डल की बैठक में रखा जा कर निर्णीत किया जा चुका हैं पेंशन नियमों के अनुसार विकल्प एक बार ही दिया जा सकता हैं अतः इस पर पुनः विचार किया जाना नियमानुसार नहीं होगा।

	<p>6. कुलपति महोदय ने अवगत करवाया कि पैंशन कोष में कमी, निरन्तर हो रहे ह्यस एवं में बकाया राशि वसूली के संबंध में दिनाँक 31.7.2007 को प्रमुख शासन सचिव उच्च शिक्षा की अध्यक्षता में एवं के कुलपति तथा वित्त नियत्रंकों की बैठक में चर्चा की गई। प्रबन्ध मण्डल की सर्वसम्मत राय थी कि इस प्रकरण में प्रयास किये जावें। इस प्रकरण को कुलपति समन्वय समिति में भी भेज दिया गया है।</p>
--	--

आसन के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव पारित के साथ बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।


 (पालसिंह)
 कुलसचिव एवं सदस्य सचिव


 (प्रताप नारायण)
 कुलपति एवं अध्यक्ष